

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ़

सोहनलाल देहडू

बनाम

स्टेट

किस्म मुकदमा : 136 LRA

प्रकरण संख्या 216/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
12.06.2026	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का नाम रोही मौजा सोनड़ी के खाता संख्या 547/549 व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 761/763 व 274/274 में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र नन्दराम दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सोहनलाल देहडू पुत्र नन्दराम देहडू है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा पैन कार्ड व राशन कार्ड में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम सोहनलाल पुत्र नन्दराम के स्थान पर सोहनलाल देहडू पुत्र नन्दराम देहडू दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।</p> <p>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र नन्दराम के स्थान पर सोहनलाल देहडू पुत्र नन्दराम देहडू किया जाना उचित है की अनुशंषा की है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र नन्दराम दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा जमाबंदी रोही मौजा पैन कार्ड व राशन कार्ड में सोहनलाल देहडू पुत्र नन्दराम देहडू दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनड़ी के खाता संख्या 547/549 व रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 761/763 व 274/274 में दर्ज सोहनलाल पुत्र नन्दराम के स्थान पर सोहनलाल देहडू पुत्र नन्दराम देहडू का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Lahul.